

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2017-वैशाख 8, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

PUBLIC NOTICE

Applicant Adv. Shri S.K. GUPTA

**BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL,
CITY CIVIL & SESSIONS COURT, AHMEDABAD.**

Fixed on :- 19-02-2015

H.H. JUDGE SHRI N.L. DAVE SAHEB
Exh. 44

M.A.C.P. No. 1358 OF 1998

APPLICANT :- SHRIMATI PADAMKUNVAR NARPATSINH RAJPUT +3

Versus

- OPPONENT - 4. PRAKASH BHAI GOPALBHAI
ADD :- 61, VALLABHANAGAR INDORE, M.P.
5. VIKRAMSINH BHAKHULASING
ADD :- 61, VALLABHANAGAR SOCIETY INDORE, M.P.

WHEREAS, the applicant has filed claim petition in this tribunal for compensation of Rs. 3,00,000/- U/s. 166 of M.V. Act on 12-08-2008 for accident caused by VEHICLE NO. M-O-U-1100 & GJ-1-U-6980 on Dt. 05-12-1997 at 2:00A.M. ON WAY LIMKHEDA TO DAHOD, NEAR VAHEDA VILLAGE BRIDGE, DAHOD GODHRA HIGHWAY ROAD. in Jurisdiction of LIMKHEDA Police Station. Notice of this Tribunal against above opponent has been returned unserved.

This PUBLIC NOTICE is issued by the Tribunal for above Opponent. Take Notice of this claim that it will be heard by the Tribunal on 19-02-2015 at 10:30 a.m.

If you does not appear and file your defence, the claim will be decided exparte against you.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF THE TRIBUNAL THIS 05th DAY OF JANUARY 2015.

DRAWN BY
(M.R. PARMAR)
Assistant

CHECKED BY
(P.R. BHAGAT)
Superintendent

(K.R. TRIVEDI)
For, Dy. Registrar
City Civil & Sessions Court.
Ahmedabad.

(57-B.)

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

दिनांक 18 अप्रैल, 2017

क्र. 59/17.-प्राधिकरण संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2017 में पारित उहराव क्र. 11 के पालन में, निगरानीकर्ता श्रीमती प्रेमलता पति श्री प्रेमचंद जैन की ग्राम गोयलाखुर्द की भूमि सर्वे क्र. 74/1, रकबा 0.189 हे. को प्राधिकरण की योजना क्र. पी-16/09 में अधिनियम की धारा-50 (7) के अंतर्गत अंतिम नगर विकास स्कीम में सम्मिलित कर पुनर्स्थापित किया गया है. तदनुसार अधिनियम धारा-50 (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना निम्नानुसार है.—

प्ररूप-उन्नीस

[नियम 19 (5) देखिए]

धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-50 की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना अर्थात् योजना क्र. पी-16/09 क्षेत्र ग्राम गोयलाखुर्द की भूमि सर्वे क्र. 74/1, रकबा 0.189 हे. के लिए धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियाँ निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं:-

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, द्वितीय तल, प्राधिकरण भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन.

(63-बी.)

अभिषेक दुवे,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि शादी से पूर्व मेरा नाम दीप्ता केतकर था. विवाह दिनांक 18 नवम्बर, 2000 के उपरान्त मेरा नाम श्रीमती दीपा पाराशर पत्नी श्री संजय पाराशर हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(कु. दीप्ता केतकर)
पुत्री स्व. श्री विजय केतकर

(61-बी.)

नया नाम :

(दीपा पाराशर)
पत्नी श्री संजय पाराशर
न्यू कॉलोनी, 1/4 बिरला नगर,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी सुजाता पिता श्री मधुसुदन सहस्रबुद्धे रहा होकर मेरा यही नाम मेरे समस्त दस्तावेज, अंकसूची आदि में दर्ज है. मेरा विवाह श्री धनंजय करंदीकर के साथ दिनांक 16 नवम्बर, 1984 को सम्पन्न होने उपरान्त ससुराल पक्ष द्वारा मेरा नाम परिवर्तित करते "श्रीमती धनश्री करंदीकर पति श्री धनंजय करंदीकर" कर दिया व मैं, श्रीमती धनश्री करंदीकर पति श्री धनंजय करंदीकर के नाम से जानी, पहिचानी व सम्बोधित की जाती हूँ व भविष्य में इसी नाम से जानी जाऊंगी. उक्तानुसार वर्णित दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम हैं.

(49-बी.)

(धनश्री करंदीकर)
पति श्री धनंजय करंदीकर,
22, स्वामी विवेकानन्द नगर, कनाडिया रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम श्रीमति रचना राजपूत पिता का नाम श्री राम किशोर, पता- 16, शिव शक्तिपुरम, अजयपुर, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) जिसे बदलकर अब मैंने अपना नाम श्रीमति रचना कुशवाह पति श्री रतेन्द्र सिंह कुशवाह रख लिया है. अब से मुझे मेरे नये नाम श्रीमति रचना कुशवाह पति श्री रतेन्द्र सिंह कुशवाह के नाम से पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(रचना राजपूत)

(50-बी.)

नया नाम :
(रचना कुशवाह)
शिव शक्तिपुरम, अजयपुर, लशकर,
ग्वालियर (म.प्र.)

CHANGE OF NAME

That before marriage I was known as CHETANA GANVEER after marriage I have changed my name and henceforth I shall be known as Smt. ISHITA DHOKE W/o DEEPAK DHOKE.

Old Name:
(चेतना गणवीर)

(51-B.)

New Name :
(इशिता ठोके)
Resident of 401, Vijay Tower,
Near Police Station Ranjhi,
Jabalpur (M.P.)-482005.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी दस्तावेजों में (अंकसूचियाँ, वोटरकार्ड, पेनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड आदि) नम्रता मरकाम पुत्री स्व. श्री बाबाजीराव अंकित है.

मैं, अपना नाम बदलकर पूर्वी थोरात पुत्री स्व. श्री बाबाजीराव थोरात रखना चाहती हूँ.

अतः भविष्य में मुझे पूर्वी थोरात के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(नम्रता मरकाम)

(52-बी.)

नया नाम :
(पूर्वी थोरात)
थोरात की गोठ, पीपलवाली गली,
लोहिया बाजार, लशकर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, शाहगुल रोमानी पत्नी श्री सलीम रोमानी सूचित करती हूँ कि मेरा नाम विवाह के पूर्व शाहजमा उर्फ शाहजहां पुत्री श्री सईद खान था. मेरा विवाह (निकाह) श्री सलीम रोमानी से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 02 नवम्बर, 1973 को भोपाल में सम्पन्न हुआ है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. मुझे अब शाहजमा उर्फ शाहजहां के स्थान पर शाहगुल रोमानी पत्नी श्री सलीम रोमानी निवासी- सी-7/2, अमलतास कॉम्प्लेक्स, मनीषा मार्केट के पास, शाहपुरा, भोपाल के रूप में जाना जावे.

पुराना नाम :
(शाहजमा उर्फ शाहजहां)
पुत्री श्री सईद खान

(53-बी.)

नया नाम :
(शाहगुल रोमानी)
पत्नी श्री सलीम रोमानी,
निवासी-7/2, अमलतास कॉम्प्लेक्स,
मनीषा मार्केट के पास, शाहपुरा, भोपाल.

नाम परिवर्तन

सर्व-सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम NARRENDRA KUMAR HARINKHEDE था जिसे बदलकर NARENDRA KUMAR HARINKHEDE कर दिया गया है.

मुझे इसी नाम से जाना जाए.

(54-बी.)

सही
(NARENDRA KUMAR HARINKHEDE)
बालाघाट.

नाम परिवर्तन

सर्व-सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम प्रिया विनोद राने था, जिसे बदलकर प्रिया चावला कर दिया गया है। मुझे प्रिया चावला नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

(प्रिया विनोद राने)

(55-बी.)

नया नाम :

(प्रिया चावला)

बालाघाट.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कु. रेखा पिता रामचन्द्र खाण्डेकर था. शादी के बाद श्रीमती हर्षदा पति हेमचन्द्र संवत्सरकर हो गया है. अतः मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(कु. रेखा)

पिता श्री रामचन्द्र खाण्डेकर

(56-बी.)

नया नाम :

(हर्षदा)

पति हेमचन्द्र संवत्सरकर,
पता- 242, प्रगति नगर, राजेन्द्रनगर,
इन्दौर (म.प्र.).**CHANGE OF NAME**

I, SONAMAGRAWAL have changed my name to SAHILAGRAWAL S/o RAJENDRAKUMARAGRAWAL and now I would be known as SAHIL AGRAWAL S/o RAJENDRA KUMAR AGRAWAL.

Old Name:

(SONAM AGRAWAL)

(41-B.)

New Name :

(SAHIL AGRAWAL)

S/o Rajendra Kumar Agrawal,
Add.- 36, Veer Sawarkar Nagar,
Indore (M.P.).**CHANGE OF NAME**

I, SONALI DILIP JAIN here by declare that after marriage I have changed my name as ISHITA TANTED W/o ANANT TANTED so, from now and in future I will be known by my new name ISHITA TANTED W/o ANANT TANTED.

Old Name:

(SONALI DILIP JAIN)

(58-B.)

New Name :

(ISHITA TANTED W/O ANANT TANTED)

Add.- 12/3, Dr. Roshan Singh Bhandari Marg,
Sakar Nest Aprt. flat No. 301,
Indore (M.P.).**CHANGE OF NAME**

This is to inform all that my son was earlier known as Tinku chauhan (टिंकू चौहान) aged about 16 years has changed his name to SIDDHARTH CHOUHAN (सिद्धार्थ चौहान) and shall hereafter be known as only by the name of SIDDHARTH CHOUHAN (सिद्धार्थ चौहान).

(JASWANT SINGH CHAUHAN)

(59-B.)

Father/Natural Guardian,
1239, Lal Bahadur Shastri Ward,
Ward No. 8, Gram Mandideep,
Tehsil-Gauharganj, District-RAISEN (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, SAIJU IDICULLA SAJAN have changed my name to SAIJU SAJAN IDICULLA W/o SAJAN IDICULLA and now I would be known as SAIJU SAJAN IDICULLA W/o SAJAN IDICULLA.

Old Name:

New Name :

(SAIJU IDICULLA SAJAN)

(SAIJU SAJAN IDICULLA)

W/o Sajan Idiculla,

Add.- C-21, Panchdeep Nukunj, Nanda Nagar,

Indore (M.P.).

(64-B.)

CHANGE OF NAME

I, NAJMUDDIN HAIDRI have changed my name to NAJMUDDIN ABBASI S/o GULAM ABBAS and now I would be known as NAJMUDDIN ABBASI S/o GULAM ABBAS.

Old Name:

New Name :

(NAJMUDDIN HAIDRI)

(NAJMUDDIN ABBASI)

S/o Gulam Abbas,

Add.- 2-A, Hussaini Nagar, Noorani Nagar,

Dhar Road, Indore (M.P.).

(65-B.)

नाम परिवर्तन

शादी से पूर्व मेरा नाम कु. कल्पना कस्तुरे पिता श्री गजानन कस्तुरे था, विवाह पश्चात् श्रीमती दीपिका गेठेवाले पति श्री प्रदीप गेठेवाले हो गया है. अतः मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(कल्पना कस्तुरे)

(दीपिका गेठेवाले)

पति श्री प्रदीप गेठेवाले,

पता- फ्लैट नं. 103, गुजरात भवन,

1/1 स्नेहलतागंज, इन्दौर (म.प्र.).

(66-बी.)

CHANGE OF NAME

I, JAGDISH SINGH here by declare that I have change my name as JAGDISH SINGH BHADORIYA S/o GOKUL SINGH BHADORIYA so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

New Name :

(JAGDISH SINGH)

(JAGDISH SINGH BHADORIYA)

S/o Gokul Singh Bhadoriya,

Add.- F2/21, Rajasav Colony, Near Bhargava

Heart Hospital, Ujjain (M.P.).

(67-B.)

CHANGE OF NAME

I, declare that before my name was RAVI BADTIYA. I have changed my name as RAVI BADTIYA to RAVI SHARMA. In future I will be known as new name RAVI SHARMA.

Old Name:

New Name :

(RAVI BADTIYA)

(RAVI SHARMA)

Address- 1308/2, Gulmohar, Block-A,

Flat No. 107, Gulmarg Valley,

Indore (M.P.)-452018.

(68-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-संबंधितों को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स नरेन्द्र कुमार जटाशंकर, 332, साकेत नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश पर स्थित है। जिसमें गवर्नमेंट कान्ट्रेक्टर एंड सिविल वर्क का कार्य किया जाता है। जिसका पंजीयन क्र. 03/27/03/00089/08, सन् 2008-09, दिनांक 09 सितम्बर, 2008 से वैध है, जिसमें पूर्व में छः पार्टनर 1. श्री आशीष पिता स्व. श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, 2. श्री सत्यनारायण पिता स्व. जटाशंकर अग्रवाल, 3. श्री नितिन पिता रमेश अग्रवाल, 4. श्रीमती कुसुम देवी अग्रवाल पति स्व. श्री सत्यनारायण अग्रवाल, 5. श्रीमती मुन्नीदेवी अग्रवाल पति स्व. श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, 6. श्रीमती मेधा अग्रवाल पति आशीष अग्रवाल कार्य संचालित कर रहे थे। जिसमें से श्री सत्यनारायण अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 19 जनवरी, 2017 को हो गया है, इसलिए उन्हें दिनांक 19 जनवरी, 2017 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत्त माना जाये एवं पार्टनर 1. श्री नितिन पिता रमेश अग्रवाल, 2. श्रीमती कुसुम देवी अग्रवाल पति स्व. श्री सत्यनारायण अग्रवाल, 3. श्रीमती मुन्नीदेवी अग्रवाल पति स्व. श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल स्वेच्छा से फर्म से निवृत्त हो रहे हैं उन्हें भी दिनांक 19 जनवरी, 2017 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत्त माना जाये। अब इस फर्म का संचालन 1. श्री आशीष पिता स्व. श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं 2. श्रीमती मेधा अग्रवाल पति आशीष अग्रवाल कर रहे हैं।

किसी को भी इस संदर्भ में कोई आपत्ति हो तो 15 दिनों में संपर्क एवं सूचित करें।

मेसर्स नरेन्द्र कुमार जटाशंकर,
आशीष अग्रवाल,
(भागीदार।)

(60-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे. श्रीकृष्ण योगेशकुमार, शुजालपुर रोड-पचोर, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश (शाखा जगदीश कॉटन जिनिंग फैक्ट्री दाल एंड ऑयल मील-पचोर) की भागीदारी की संरचना में निम्न संशोधन किये जाते हैं।

1. दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से फर्म मे. श्रीकृष्ण योगेशकुमार, शुजालपुर रोड-पचोर, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) का नाम परिवर्तन कर मे. जगदीश कॉटन जिनिंग फैक्ट्री दाल एंड ऑयल मील, पुराना ए. बी. रोड-पचोर कर दिया गया और मे. श्रीकृष्ण योगेशकुमार, शुजालपुर रोड-पचोर, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) को बंद कर दिया गया।
2. दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से भागीदारी फर्म जगदीश कॉटन जिनिंग फैक्ट्री दाल एंड ऑयल मील, पुराना ए. बी. रोड-पचोर को मुख्यालय कर दिया गया।
3. दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से इसी भागीदारी फर्म जगदीश कॉटन जिनिंग फैक्ट्री दाल एंड ऑयल मील, पुराना ए. बी. रोड-पचोर की शाखा मे. एस. पी. वेयरहाउस, पुराना ए. बी. रोड-पचोर सम्मिलित की गयी।
4. दिनांक 15 फरवरी, 2013 से इसी भागीदारी फर्म जगदीश कॉटन जिनिंग फैक्ट्री दाल एंड ऑयल मील, पुराना ए. बी. रोड-पचोर की शाखा मे. जगदीश इंडस्ट्रीज, पुराना ए. बी. रोड-पचोर सम्मिलित की गयी।

भागीदारों के नाम या स्थान में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है।

भागीदारों के हस्ताक्षर (मुद्रा सहित)
(JAGDISH COTTON GINNING
FACTORY DAL & OIL MILL)

1. पंकज गोयल पिता श्री श्रीकृष्ण गोयल,
शुजालपुर रोड-पचोर, जिला राजगढ़,
2. शशि गोयल पत्नी श्री महेश गोयल,
शुजालपुर रोड-पचोर, जिला राजगढ़,
(PARTNER)

(44-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि फर्म मेसर्स सिद्धि विनायक स्टोन क्रैसर, स्थित म.नं. 42, ग्राम अगली, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 62/41/03/00221/11, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 है। जिसमें दिनांक 30 मई, 2014 को भागीदार श्री रामहेत यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव एवं श्री विशाल श्रीवास्तव पुत्र श्री विष्णु श्रीवास्तव निवासीगण, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 30 मई, 2014 को लक्ष्मण कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री सुखला गुप्ता, निवासी ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को भागीदार विशाल गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मण गुप्ता एवं श्री लक्ष्मण कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री सुखला गुप्ता, निवासीगण ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 से श्री विशाल श्रीवास्तव पुत्र श्री विष्णु श्रीवास्तव, निवासीगण, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 से श्री गजेन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्र श्री नारायण सिंह रघुवंशी, शिवपुरी एवं दिनेश श्रीवास्तव पुत्र श्री बन्नी प्रसाद श्रीवास्तव शिवपुरी एवं श्री अश्वनी झा पुत्र श्री यशवंत झा, शिवपुरी नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

फर्म मेसर्स सिद्धि विनायक स्टोन क्रैसर,
विशाल श्रीवास्तव,
(भागीदार)

(62-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सादिक हुसैन इल्यास खान एण्ड संस की पार्टनरशिप डीड फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म एण्ड संस्थाएं, इन्दौर में पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0224/17, दिनांक 14 फरवरी, 2017 से पंजीकृत है। यहकि दिनांक 22 मार्च, 2017 को फर्म में इरफान खान पिता इस्माईल खान निवासी-92, सुभाष मार्ग, इन्दौर, म.प्र. एवं जावेद पिता याकुब खान निवासी-96, भिश्ती मोहल्ला, इन्दौर, म.प्र. को भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है एवं फर्म से सादिक हुसैन पिता अब्दुल हमीद, निवासी-27/1, जूना रिसाला, इन्दौर ने अपना सेवा निवृत्त लेख (रिटायरमेंट डीड) लिखा होने से भागीदार नहीं रहे हैं।

फर्म का कार्यालय 27/1, जूना रिसाला, इन्दौर, म.प्र. था जिसका अब नया पता-89, सुभाष मार्ग, इन्दौर म.प्र. पर रहेगा।

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचनार्थ है।

इल्यास खान,
मे. सादिक हुसैन इल्यास खान एण्ड संस,
उज्जैन रेल्वे स्टेशन.

(48-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एफलेटस इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस, भूखण्ड क्र. 19-बी, सेक्टर-एच, इन्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल भूखण्ड का क्षेत्रफल 15000 वर्गफिट जिसका पार्टनरशिप पंजीयन क्र. 01/01/01/00434/11 है उक्त फर्म में चार पार्टनर 1. श्रीमती अल्पना गुप्ता पत्नी श्री संजय गुप्ता 25 प्रतिशत, 2. श्रीमती शालिनी गुप्ता पत्नी श्री राजीव कुमार गुप्ता 25 प्रतिशत, 3. श्री संजय गुप्ता आत्मज श्री आर. एस. गुप्ता 25 प्रतिशत, 4. राजीव कुमार गुप्ता आत्मज श्री आर. एस. गुप्ता 25 प्रतिशत, सभी निवासी म. नं. 543, पुष्पा नगर, भोपाल के पार्टनर रहे हैं ऐसा कि पार्टनर नम्बर एक, दो एवं तीन पार्टनरशिप दिनांक 01/10/10 से डिज्यूलूशन डीड दिनांक 01/04/17 से फर्म मेसर्स एफलेटस इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस की पार्टनरशिप से रिटायर्ड यानि निकल गये हैं अब उक्त फर्म में एक कन्टीन्यूअस पार्टनर रहने से उक्त फर्म को प्रोपाईटरशिप में परिवर्तित करायी जा रही है जिसके प्रोपाईटर पार्टनर नम्बर 4 राजीव कुमार गुप्ता रहेंगे। राजीव कुमार गुप्ता ही उक्त फर्म के नाम से कारोबार करेंगे। अब उक्त फर्म में पार्टनर नम्बर एक, दो एवं तीन के नाम हटाने एवं उक्त फर्म में राजीव कुमार गुप्ता का नाम प्रोपाईटर में अंकित किये जाने हेतु फर्म एवं संस्थाएं भोपाल, म. प्र. में आवेदित/सूचित किया जा रहा है यदि उपरोक्त वर्णित फर्म में उक्त तीनों रिटायर्ड/निकल गये। पार्टनर के नाम हटाने या उनके नाम पर या उक्त फर्म के किसी भाग या हिस्से से किसी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था, सोसायटी या अन्य का कोई हित, स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन देन हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में या कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल, म. प्र. प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई दावा, स्वत्व या आपत्ति बंधनकारी नहीं होगी और मेसर्स एफलेटस इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस में राजीव कुमार गुप्ता का नाम प्रोपाईटर अंकित किये जाने के साथ तीनों रिटायर्ड/निकल गये पार्टनर के नाम हटाने एवं पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अन्तर्गत पालनार्थ सर्व सूचना और आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

राजीव कुमार गुप्ता,
आत्मज श्री आर. एस. गुप्ता,
(प्रोपाईटर)
एफलेटस इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस,
भूखण्ड क्र. 19-बी, सेक्टर-एच, इन्डस्ट्रीयल एरिया,
गोविन्दपुरा, भोपाल.

(70-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2017

क्र. जी. बी./दो(29)2017/760.-1.नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, म. प्र. भोपाल में "ए" एवं "बी" ऑफसेट श्रेणी में जीवित पंजीकृत समस्त मुद्रकों से मुद्रण एवं अन्य संबंधित विधाओं के कार्य कराने हेतु तकनीकी एवं कॉमर्शियल भाग की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन ई-टेंडर <https://mpeproc.gov.in> से दिनांक 08 मई, 2017 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी भाग दिनांक 08 मई, 2017 को अपरान्ह 3.30 बजे एवं निविदा का कॉमर्शियल भाग दिनांक 09 मई, 2017 को अपरान्ह 2.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाऊनलोड की जावेगी।

2. ऑनलाईन तकनीकी भाग के परिशिष्ट-एक एवं दो की जानकारी की हार्डकापी, स्थापित मशीनों की सूची, नियम एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को <https://mpeproc.gov.in> पर अवलोकन हेतु रखा गया है।

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in उपलब्ध रहेगी।

राजेश कुमार कौल,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश भोपाल।

(1186)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक, सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र. वी/121 वर्ष 2016-17

मौजा-महावीर वार्ड, मकरोनिया

क्रमांक 579.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक इंजी. राजेन्द्र कुमार जैन, अध्यक्ष, श्री 1008, महावीर दिगम्बर जैन मंदिर, शक्तिनगर, मकरोनिया, सागर द्वारा नियम-4(3) मध्यप्रदेश लोक न्यास के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "श्री 1008, महावीर दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, नेहानगर (महावीर वार्ड), मकरोनिया, सागर" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है, जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम, पते निम्नानुसार हैं :-

1. डॉ. अभय कुमार जैन, संरक्षक, नेहानगर, मकरोनिया, सागर
2. इंजी. राजेन्द्र कुमार जैन, अध्यक्ष, नेहानगर, मकरोनिया, सागर
3. श्री श्रेयांश कुमार जैन (पवा वाले), मंत्री, शक्तिनगर, मकरोनिया, सागर
4. इंजी. अनिल कुमार जैन, उपाध्यक्ष (निर्माण), शक्तिनगर, मकरोनिया, सागर
5. श्री बसंत कुमार जैन, उपाध्यक्ष शक्तिनगर, मकरोनिया, सागर
6. श्री के. सी. जैन, शिक्षक, कोषाध्यक्ष सदभावनानगर, मकरोनिया, सागर
7. श्री मनोज कुमार जैन, सहकोषाध्यक्ष शक्तिनगर, मकरोनिया, सागर
8. श्री सुनील कुमार जैन, शांति किराना, सह सचिव नेहानगर, मकरोनिया, सागर
9. श्री डी. सी. जैन (बी.एस.एन.एल.), सदस्य शांति रेसीडेंसी, मकरोनिया, सागर
10. पं. श्री विमलकुमार जैन, सदस्य गायत्रीनगर, मकरोनिया, सागर
11. श्री डालचंद जैन, सदस्य नेहानगर, मकरोनिया, सागर
12. श्री राजीव भारिल्ल, सदस्य शक्तिनगर, मकरोनिया, सागर
13. श्री विकास जैन, पांडव टायर्स, सदस्य शक्तिनगर, मकरोनिया, सागर
14. श्री जिनेश कुमार जैन, शिक्षक, सदस्य नेहानगर, मकरोनिया, सागर
15. श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन, नैनधरा वाले, सदस्य पारस कॉम्प्लैक्स, मकरोनिया, सागर
16. श्री अशोक कुमार जैन, महावीर ट्रांसपोर्ट वाले, सदस्य पारस कॉम्प्लैक्स, मकरोनिया, सागर

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यासियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा. न्यास का नाम, पता एवं सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

लोक न्यास का नाम	:	श्री 1008, महावीर दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, नेहानगर (महावीर वार्ड), मकरोनिया, सागर.
पता	:	नेहानगर (महावीर वार्ड), मकरोनिया, सागर
चल संपत्ति	:	संलग्न सूची अनुसार
अचल संपत्ति (क)	:	श्री 1008, महावीर दिगम्बर जैन मंदिर तीन तल का 1 नं. (आधार प्रथम, द्वितीय तल) 3600 वर्गफुट संत भवन 1 नं. दो तल का (भूतल एवं प्रथम तल) 2400 वर्गफुट धर्मशाला तीन तल 1250 वर्गफुट खाली प्लाट 1250 वर्गफुट खाली प्लाट 2010 वर्गफुट संलग्न सूची अनुसार.

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 28 मार्च, 2017 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है वाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

पेशी दिनांक 28 मार्च, 2017

जारी दिनांक 20 फरवरी, 2017

(1169)

संतोष चंदेल,
अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, वृत भोपाल
भोपाल, दिनांक 07 मार्च, 2017

प्र. क्र. 0006/बी-113/16-17.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

क्र. 695/रीडर/नजूल/2017.—जैसाकि आवेदक श्री गुरुमुखदास खानचंदानी, निवासी-528, वन-ट्री हिल्स, गोकुलधाम कैम्पस, बैरागढ़, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा "महानगर सिन्धी कल्याण पंचायत सेवा न्यास" पता-डी-01/4, मुख्य मार्ग, शिव मंदिर गोल चक्रा के पास, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश, पब्लिक ट्रस्ट, अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 16 मई, 2017 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में उपरोक्त दिनांक को उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	"महानगर सिन्धी कल्याण पंचायत सेवा न्यास" पता-डी-01/4, मुख्य मार्ग, शिव मंदिर गोल चक्रा के पास, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
अचल सम्पत्ति	:	संस्था की प्रारंभिक अचल सम्पत्ति - निरंक
चल सम्पत्ति	:	निरंक

(1171)

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2017

प्र. क्र. 0004/बी-113/16-17.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

क्र. 633/रीडर/नजूल/2017.—जैसाकि आवेदक श्री हरीश वासवानी आत्मज स्व. श्री नारायण दास वासवानी, निवासी-110, निर्मल नर्सरी, संस्कार स्कूल के पास, बैरागढ़, भोपाल द्वारा "नारायण सेवा न्यास" पता-बी-न्यू 12/126, जमना दर्शन भवन, संत हिरदाराम नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में उपरोक्त दिनांक को उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	"नारायण सेवा न्यास" पता-बी-न्यू 12/126, जमना दर्शन भवन, संत हिरदाराम नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
अचल सम्पत्ति	:	संस्था की प्रारंभिक अचल सम्पत्ति - निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2100.00

(1172)

प्रदीप कुमार शर्मा,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मंदसौर (मध्यप्रदेश)

दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

प्र. क्र. 1/बी-113(1)/2016-17.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2), लोक न्यास नियम-1962-5]

1. पंजीयक लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष श्री जांगीड ब्राह्मण सुतार पंचायत, सुतार पंचायत, चंद्रपुरा, मंदसौर, श्री विश्वकर्मा, मांगलिक भवन, नई आबादी, गोल चौराहा, मंदसौर.
2. चूँकि श्री जांगीड ब्राह्मण सुतार पंचायत, सुतार पंचायत, चंद्रपुरा, मंदसौर, श्री विश्वकर्मा, मांगलिक भवन, नई आबादी, गोल चौराहा, मंदसौर लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के तथा न्यास के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.
3. कोई व्यक्ति उक्त न्यास या अन्यास सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास के और उसका गठन करती है.
4. अतः मैं, श्री एन. एस. राजावत, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 तथा धारा-4 के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को व्यक्तिशः अथवा अधिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण-ट्रस्ट की सभी चल, अचल सम्पत्तियाँ ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छायाप्रतियाँ संलग्न हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. अचल सम्पत्ति चन्द्रपुरा, मंदसौर स्थित सर्वे क्रमांक 3145, 3147 रकबा 0.031 एवं 0.052 कुल 0.083, मंदिर के समीप 20x40 कुल 800 वर्गफीट का पक्का हॉल बना हुआ है. गोल चौराहा में स्थित प्लाट, 2 मंजीली भवन मकान नम्बर 15, गोल चौराहा मंदसौर में स्थित है जो यह भूमि जांगीड समाज की है.
2. चल सम्पत्ति-2,84,315/- (दो लाख, चौरासी हजार, तीन सौ पन्द्रह)
5. लोक न्यास का नाम श्री जांगीड ब्राह्मण सुतार पंचायत, सुतार पंचायत, चंद्रपुरा, मंदसौर, श्री विश्वकर्मा, मांगलिक भवन, नई आबादी, गोल चौराहा, मंदसौर.

एन. एस. राजावत,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1170)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, मंदसौर**

मंदसौर, दिनांक 07 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./विधि/लेखा/144.-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/एम.डी.एस.आर./एचओ/65, दिनांक 20 नवम्बर, 1961 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन के आदेश क्र./विधि/2016/162, दिनांक 09 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के अंतर्गत समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. कोठारी,
परिसमापक.

(1173)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 11 अप्रैल, 2017

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र./733/नग्रानि/2017.-एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा वृद्धि में सम्मिलित ग्रामों की भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति आयुक्त, ग्वालियर संभाग, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं नगरपालिक निगम, ग्वालियर के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश 1, रवि नगर, ग्वालियर के कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

अनुसूची

- | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1. छौंदा | 2. सातऊ | 3. खिरिया कछाई | 4. नोनेरा |
| 5. सिकरोदी | 6. कुशराजपुर | 7. पुरासानी | 8. तिलेधा |
| 9. बडौरी | 10. नागौर | 11. डॉंग सरकार | 12. लोडरा |
| 13. अडूपुरा | 14. अलीनगर | 15. रबार | 16. रोरा |
| 17. बस्तरी | 18. रमौआ | 19. सौसा | 20. बंधौली |
| 21. उदयपुरा | 22. हिरी | 23. सिंघारपुरा | 24. सुनारपुरा |
| 25. गणेशपुरा | 26. बनारपुरा | 27. धनेली | 28. वीरमपुर |
| 29. सूरु | 30. चंद्रपुरा | 31. करिगवां खुर्द | 32. पिपरौली |

वी. के. शर्मा,
संयुक्त संचालक
वास्ते-संचालक.

(1174)

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय-कटनी

कटनी, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

क्र./1059/नग्रानि/कै.वि.यो./2017.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के तहत सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, कटनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-95-2014-बत्तीस-भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा कैमोर, विजयराघवगढ़ निवेश क्षेत्र का गठन किया गया है। गठित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 18 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र तैयार किये गये हैं जो कि निम्नानुसार हैं :-

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1. कोयलिया | 2. अमरैया | 3. बरा | 4. सलैया कोहारी |
| 5. खलवारा | 6. गुडगुडोहा | 7. बम्हनगवा | 8. देवरी मझगवा |
| 9. कलहरा | 10. बंजारी | 11. मझगवा | 12. रमना |
| 13. धनेडी खुर्द | 14. विजयराघवगढ़ | 15. हिनोता | 16. सलैया |
| 17. झिरिया | 18. बडारी. | | |

उपरोक्त ग्रामों के मानचित्र सर्व-साधारण के निरीक्षण के लिए कार्यालय कलेक्टर, कटनी, नगर परिषद्, कैमोर, नगर परिषद्, विजयराघवगढ़ तथा कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, कटनी के सूचना पटल पर दिनांक 19 अप्रैल, 2017 से दिनांक 20 मई, 2017 तक (तीस दिवस) कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर उपलब्ध रहेंगे।

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो, तो उसे प्रदर्शनीय स्थल पर प्रस्तुत करें या कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कटनी को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर लिखित में भेजा जाना चाहिए। भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति/सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संचालक द्वारा विचार किया जावेगा।

नीरज आनंद लिखार,
संयुक्त संचालक,
वास्ते-सहायक संचालक.

(1175)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./पंजी/2017/545.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/14, दिनांक 05 जनवरी, 2006 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूसल्लीसाहू, तहसील लटेरी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतः परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सहकारी अधिनियम की धारा-69 (4) तथा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह/1/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूसल्लीसाहू, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस/567, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को पुनर्जीवित करता हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है.

1. श्री बलवीर सिंह	अध्यक्ष	5. श्री लक्ष्मण सिंह	संचालक
2. श्री शिवचरण	उपाध्यक्ष	6. श्री हसीन अली	संचालक
3. श्रीमती भागवती बाई	उपाध्यक्ष	7. श्रीमती विमला बाई	संचालक
4. श्रीमती रामबाई	संचालक	8. श्री सरवन सिंह	संचालक

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अंदर निर्वाचन सम्पन्न करायें.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(1164-I)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/13/1435, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा मांझी धीवर समाज मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, गंधेरी, जिला जबलपुर, पं. क्र. 1554 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सह. निरी. के पत्र दिनांक 28-03-2017 द्वारा संस्था को परिसमापन से मुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है तथा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 20 मार्च, 2017 में संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव पारित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया जो उचित प्रतीत होता है.

अतः ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-2/2010/15-1, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत मांझी धीवर समाज मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, गंधेरी, जिला जबलपुर, पं. क्र. 1554 को परिसमापन से मुक्त करता हूँ.

संस्था के सामान्य कामकाज को निपटाने एवं विधिवत निर्वाचन कराए जाने के पूर्व तक कार्य करने के लिए निम्नलिखित कमेटी बनाई जाती है.

1. श्री गुन्दालीराम रैकवार	अध्यक्ष
2. श्रीमती गीताबाई	उपाध्यक्ष
3. श्री प्रकाशचन्द्र	संचालक
4. श्री भवानी प्रसाद	संचालक
5. श्री मनोज कुमार	संचालक
6. श्री लक्ष्मी प्रसाद	संचालक
7. श्री नारायण प्रसाद	संचालक
8. श्री फूलचंद रैकवार	संचालक
9. श्री जगन्नाथ	संचालक
10. श्री प्रहलाद	संचालक
11. श्री राजाराम रैकवार	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा के सहित जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(1160-K)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./129/परि./2017.—दरी-कालीन बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, खिलचीपुरा जिसका पंजीयन क्र./डी.आर.एच./भोपाल/458, दिनांक 03 मार्च, 1994 है को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1252/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2009 एवं संशोधित क्र.-1891, दिनांक 04 नवम्बर, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल औझा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), (2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1176)

मन्दसौर, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./131/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लखवा जिसका पंजीयन क्र. 698, दिनांक 07 जुलाई, 1993 है को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./876/2004, दिनांक 22 जून, 2004 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री टी. आर. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), (2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1176-A)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./360/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बाबुल्दा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 19 जनवरी, 2011 है को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 239, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए, इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बाबुल्दा, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1176-B)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./361/परि./2017.—सर्वोदय साख सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक यू.जे.ए./3, दिनांक 28 जनवरी, 2015 है को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 242, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र

जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत सर्वोदय साख सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1176-C)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./362/परि./2017.—विवेकानन्द सहकारी भण्डार मर्यादित, मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 25 जनवरी, 1991 है को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 243, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत विवेकानन्द सहकारी भण्डार मर्यादित, मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री महेश तड़वाल, उप-अंकेक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1176-D)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./363/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, निम्बाखेड़ी, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 369, दिनांक 20 मार्च, 1986 है को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 241, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, निम्बाखेड़ी, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल ओझा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1176-E)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./364/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भरड़ावद, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 652, दिनांक 13 अक्टूबर, 1992 है को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 238, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन

क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भरडावद, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री बी. के. सिंह बैस, व. सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1176-F)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./365/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अजयपुर-2, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 10 फरवरी, 2009 है को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 240, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अजयपुर-2, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1176-G)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./366/परि./2017.—आदिनाथ प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक यू.जे.एन./20, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 है को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 237, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत आदिनाथ प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1176-H)

मन्दसौर, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./125/परि./2017.—प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, गांधीसागर नम्बर-3, जिसका पंजीयन क्र. 153, दिनांक 25 फरवरी, 1954 है को कार्यालयीन आदेश क्र 145, दिनांक 12 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), (2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञापित क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1182)

मन्दसौर, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./127/परि./2017.—दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, चिकन्या जिसका पंजीयन क्र. 763, दिनांक 16 जून, 1994 है को कार्यालयीन आदेश क्र. 653, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), (2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

भारतसिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(1182-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर

सागर, दिनांक 25 फरवरी, 2017/01 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/365.—लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी ढांड, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1124, दिनांक 29 जून, 2004 है। कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/871, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी ढांड, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1124, दिनांक 29 जून, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1183)

सागर, दिनांक 25 फरवरी, 2017/01 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/366.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामेश्वर, वार्ड नंबर 9, रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1297, दिनांक 29 मार्च, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/866, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. के. केशरी, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामेश्वर, वार्ड नंबर 9, रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1297, दिनांक 29 मार्च, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1183-A)

सागर, दिनांक 25 फरवरी, 2017/01 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/367.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बलेह, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1299, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/815, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. केशरी, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बलेह, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1299, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1183-B)

सागर, दिनांक 25 फरवरी, 2017/01 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/368.—शिवाजी ईट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1392, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/924, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिवाजी ईट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1392, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1183-C)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 07 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खच्चरटोड़ी.

यहकि दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खच्चरटोड़ी, विकासखण्ड मेघनग, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 463, दिनांक 04 अगस्त, 1980 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त संस्था की जानकारी संस्था के अंकेक्षक में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है. ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं ले रहा है.

उपरोक्त कारण से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारण से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे।

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 फरवरी, 2017 को दोपहर 12 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 07 फरवरी, 2017 को जारी किया गया है।

(1185)

झाबुआ, दिनांक 07 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झकनावदा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झकनावदा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयक क्र. 867, दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है। ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है।—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। अधिकारों को प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे।

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 फरवरी, 2017 को दोपहर 12 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 07 फरवरी, 2017 को जारी किया गया है।

(1185-A)

झाबुआ, दिनांक 07 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाराडाबर.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाराडाबर, विकासखण्ड, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 713,

दिनांक 06 नवम्बर, 1992 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है। ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं ले रहा है।
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं ना ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है।
4. पंजीयन दिनांक से संस्था अकार्यशील है।
5. ऑडिट नोट में संस्था को अवर्गीकृत में रखा गया है।
6. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय-पत्र, पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। अधिकारों को प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे।

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 फरवरी, 2017 को दोपहर 12 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 07 फरवरी, 2017 को जारी किया गया है।

(1185-B)

झाबुआ, दिनांक 07 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
मारूती उप. सहकारी भण्डार, झाबुआ.

यहकि मारूती उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र., दिनांक है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है। ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। अधिकारों को प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे।

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 फरवरी, 2017 को दोपहर 12 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर

अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 07 अगस्त, 2016 को जारी किया गया है।

(1185-C)

झाबुआ, दिनांक 21 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,
मारूती साख सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद.

क्र./परि./2017/184.-यहकि मारूती साख सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्र. 1143, दिनांक 16 मार्च, 2016 है के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है। ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। अधिकारों को प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे।

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 10 मार्च, 2017 को दोपहर 12 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21 फरवरी, 2017 को जारी किया गया है।

जी. एल. बडोले,

(1185-D)

उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/508.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1266, दिनांक 21 जुलाई, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेडी, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 360, दिनांक 07 फरवरी, 1986) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है। प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 03 वर्षीय कार्ययोजना संलग्न की गयी है, जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था का लाभ में संचालन को दर्शाया गया है। संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है। प्रबंधक दुग्ध शीतकेन्द्र, आगर-मालवा, मार्गपर्यवेक्षक दुग्ध शीतकेन्द्र, आगर-मालवा एवं परिसमापक द्वारा अपने प्रतिवेदन में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, पीपलखेडी, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 360, दिनांक 07 फरवरी, 1986) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंध-कारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्री बाबूलाल/नाथूसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री करणसिंह/रामलाल	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति मधुबाई/स्व. बाबूलाल शर्मा	संचालक
4.	श्रीमति गीताबाई/अमरसिंह	संचालक
5.	श्री घनश्याम/बालचंद	संचालक
6.	श्री शिवसिंह/पर्वतसिंह	संचालक
7.	श्री नाथूसिंह/मांगीलाल	संचालक
8.	श्री मानसिंह/बालचंद	संचालक
9.	श्री पन्नालाल/रामलाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1177)

आगर-मालवा, दिनांक 04 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/535.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/2016/1724, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या, हटीपुरा, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 95, दिनांक 17 फरवरी, 2016) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49-7 (ख) के अंतर्गत संस्था द्वारा समयविधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप संचालक मण्डल का पद स्वतः रिक्त माने जाकर श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

प्रशासक द्वारा अपने आवेदन-पत्र दिनांक 31 मार्च, 2017 से अवगत कराया गया है कि संस्था सचिव से संपर्क उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि उनकी आंखों का ईलाज, बडौदा में चल रहा है तथा आंखों की परेशानी की वजह से वह संस्था को क्रियाशील नहीं कर सकते हैं और न ही संस्था के निर्वाचन कराये जा सकते हैं। प्रशासक द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी बताया कि मार्गपर्यवेक्षक द्वारा भी संस्था को पंजीयन दिनांक से कार्यशील नहीं होना बताया गया। संस्था में पंजीयन उपरांत तीन माह के लिये नामांकित कमेटी का गठन किया गया था, जिसे संस्था के नवीन निर्वाचन हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक होकर संस्था को सुचारू रूप से क्रियाशील करना था किन्तु संस्था लगातार निष्क्रिय होकर अधिनियम एवं उपविधि का उल्लंघन कर रही है, जिसकी वजह से उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाती हूँ।

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या, हटीपुरा, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 95, दिनांक 17 फरवरी, 2016) को आज दिनांक 04 अप्रैल, 2017 से परिसमापन में लाती हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बडौद, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए निम्नानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1178)

श्वेता रावत,
प्र. उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला पन्ना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/668, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, गहरा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./482, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. दीक्षित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, गहरा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1420, दिनांक 10 अगस्त, 2011 के द्वारा महिला जाग्रति शिक्षण सामग्री एवं सामान्य आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, जिला पन्ना, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./521, दिनांक 22 मार्च, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. पी. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था महिला जाग्रति शिक्षण सामग्री एवं सामान्य आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1610, दिनांक 18 अगस्त, 2007 के द्वारा हरिजन आदिवासी महिला मजदूर खनिज सहकारी समिति मर्यादित, देवगांव, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./400, दिनांक 24 अगस्त, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था हरिजन आदिवासी महिला मजदूर खनिज सहकारी समिति मर्यादित, देवगांव, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/275, पन्ना, दिनांक 18 मार्च, 2005 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, जनवार, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./470, दिनांक 25 नवम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. पी. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, जनवार, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1610, दिनांक 18 अगस्त, 2007 के द्वारा आदर्श नागरिक सहकारी समिति मर्यादित, अजयगढ़, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./616, दिनांक 30 नवम्बर, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था आदर्श नागरिक सहकारी समिति मर्यादित, अजयगढ़, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1272, पन्ना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा साग-सब्जी बीज उत्पादक विपणन सहकारी समिति मर्यादित, भापतपुर कुर्मियान, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./413, दिनांक 19 सितम्बर, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था साग-सब्जी बीज उत्पादक विपणन सहकारी समिति मर्यादित, भापतपुर कुर्मियान, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1501, पन्ना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा महिला बीड़ी श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, अहिरगवां, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./535, दिनांक 27 मई, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था महिला बीड़ी श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, अहिरगवां, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/663, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, घटारी, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./580, दिनांक 22 जनवरी 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, घटारी, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/675, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रनवाहा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./597, दिनांक 16 जून, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. दीक्षित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रनवाहा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/676, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, जरधोवा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./599, दिनांक 16 जून, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. दीक्षित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, जरधोवा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/676, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पतारा, जिला पन्ना, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./476, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. दीक्षित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पतारा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/350, पन्ना, दिनांक 18 फरवरी, 2002 के द्वारा हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कृष्णागढ़, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./350, दिनांक 30 जुलाई, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. दीक्षित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कृष्णागढ़, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1502, पन्ना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा आदर्श ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पुरैना, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./619, दिनांक 25 फरवरी, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. दीक्षित, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था आदर्श ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पुरैना, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1510, पन्ना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा आदर्श ईट भट्टा सहकारी समिति मर्यादित, बिल्हा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./610, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. दीक्षित, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था आदर्श ईट भट्टा सहकारी समिति मर्यादित, बिल्हा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1512, पन्ना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा सहेली महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, अजयगढ़, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./642, दिनांक 13 नवम्बर, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. दीक्षित, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था सहेली महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, अजयगढ़, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1509, पन्ना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, रमपुरा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./635, दिनांक 27 मार्च, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. दीक्षित, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, रमपुरा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1514, पन्ना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा कल्याण देशी विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./638, दिनांक 30/31 दिसम्बर, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. दीक्षित, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था कल्याण देशी विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/612, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पुराना पन्ना, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./472, दिनांक 25 नवम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. दीक्षित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पुराना पन्ना, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/680, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, लुधनी, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./603, दिनांक 16 जुलाई, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री व्ही. के. दीक्षित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, लुधनी, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1358, पन्ना, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 के द्वारा आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, गुजार, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./392, दिनांक 23 मार्च, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. के. नायक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्यादित, गुजार, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/617, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./484, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. के. नायक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/271, पन्ना, दिनांक 18 मार्च, 2005 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पहाड़ीखेड़ा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./489, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. नायक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पहाड़ीखेड़ा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2306, पन्ना, दिनांक 21 नवम्बर, 2002 के द्वारा जय भवानी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मोहन्द्रा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./352, दिनांक 27 अप्रैल, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री यू. व्ही. एस. राठोर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था जय भवानी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मोहन्द्रा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1283, पन्ना, दिनांक 12 जून, 2002 के द्वारा कंकाली भवानी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, बनौली, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./358, दिनांक 29 सितम्बर, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री यू. व्ही. एस. राठोर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था कंकाली भवानी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, बनौली, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/755, पन्ना, दिनांक 08 अप्रैल, 2002 के द्वारा माँ गंगे मछुआ उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बम्हौरी, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./353, दिनांक 27 अप्रैल, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री यू. व्ही. एस. राठोर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था माँ गंगे मछुआ उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बम्हौरी, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/662, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पौड़ी, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./577, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पौड़ी, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/658, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सिमरीपोड़ी, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./561, दिनांक 19 सितम्बर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सिमरीपोड़ी, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1179-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1197, पन्ना, दिनांक 14 अगस्त, 2003 के द्वारा आदिवासी खनिज एवं वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, पड़रियाकला, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./391, दिनांक 19 मार्च, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. पी. यादव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था आदिवासी खनिज एवं वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, पड़रियाकला, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1184)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/660, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, महगवां तिलिया, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./571, दिनांक 06 नवम्बर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, महगवां तिलिया, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1184-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/659, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, लुधगवां, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./570, दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, लुधगवां, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1184-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1179, पन्ना, दिनांक 08 अगस्त, 2003 के द्वारा भारतीय कार्बाईड श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पुरैना, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./445, दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एन. प्रजापति, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था भारतीय कार्बाईड श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पुरैना, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1184-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1615, पन्ना, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रोहनिया, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./450, दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एन. प्रजापति, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रोहनिया, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1184-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1627, पन्ना, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, गिधौड़ा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./449, दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एन. प्रजापति, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, गिधौड़ा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1184-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/693, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, शाहनगर, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./550, दिनांक 17 जुलाई, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एन. प्रजापति, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, शाहनगर, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1184-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/692, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, बिसानी, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./621, दिनांक 27 फरवरी, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री श्री एच. एन. प्रजापति, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, बिसानी, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1184-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/670, पन्ना, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रैयासांटा, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./589, दिनांक 16 फरवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. खरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रैयासांटा, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1184-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/10/1281, पन्ना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, कल्याणपुर, जिला पन्ना जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.पी./361, दिनांक 28 फरवरी, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. खरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, कल्याणपुर, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1184-1)

दीप्ति बनवासी,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी/2017/172.—राष्ट्रीय बुनकर सहकारी समिति मर्या., धुरा, पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 23 जनवरी, 1960, विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./405, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री पी. सी. गवले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्डा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बुनकर सहकारी समिति मर्या., धुरा, विकासखण्ड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1180)

डिण्डौरी, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी/2017/173.—राजीव गाँधी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नादां, पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 08 अप्रैल, 1995, विकासखण्ड अमरपुर, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./413, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री पी. सी. गवले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्डा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गाँधी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नादां, विकासखण्ड अमरपुर का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1180-A)

जी. पी. कन्डा
सहायक पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 23 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/209.-आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में

दर्शित हैं एवं कालम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का उप-पंजीयक (अंकक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकक्षक द्वारा अंकक्षण कराया जाकर अंकक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 फरवरी, 2017 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा।

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राम दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काछीपुरा.	कसरावद	1436/11-08-2005	333/01-03-2016	श्री राजाराम भट्ट, सह.वि.अ.
2.	सेवा म. प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., खरगौन.	खरगौन	1468/18-11-2005	1063/27-08-2016	श्री एस. आर. सोलंकी, व.स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1181)

खरगौन, दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2017/310.-आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कालम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का उप-पंजीयक (अंकक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकक्षक द्वारा अंकक्षण कराया जाकर अंकक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 मार्च, 2017 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा।

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेडा.	कसरावद	1603/07-02-2011	333/01-03-2016	श्री मनोहर वास्कले, स.नि.

1	2	3	4	5	6
2.	नर्मदा म. प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., खरगौन.	खरगौन	1582/10-11-2009	1063/27-08-2016	श्री एस. आर. सोलंकी, व.स.नि.
3.	जय अम्बे म. बहु. सहकारी संस्था मर्या., तमोलिया.	बड़वाह	1599/23-09-2010	1069/27-08-2016	श्री मनोहर वास्कले, स.नि.
4.	नानक साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	1757/10-03-2014	1361/05-11-2015	श्री नवीन मुहावरे, स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1181-A)

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2017-वैशाख 8, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।
2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, बुरहानपुर, सीहोर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला व डिण्डौरी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
3. बोनी.- फसल सतना में फसल गेहूँ, बुरहानपुर में चना, डिण्डौरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर, बैतूल में गेहूँ मसूर, चना, मटर, राई-सरसों व ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, आगर, इन्दौर, खरगौन, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी एवं रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
4. फसल स्थिति-
5. कटाई.- जिला सीहोर, कटनी, डिण्डौरी, बालाघाट में फसल धान अनूपपुर में धान, कोदों व सीधी, खरगौन व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
6. सिंचाई.- जिला शहडोल, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, मूँग, मक्का, सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ज्वार, अरहर, चना, राई-सरसों मटर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा				
2. बटियागढ़				
3. दमोह				
4. पथरिया				
5. जवेरा				
6. तेन्दूखेड़ा				
7. पटेरा				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. गोहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गोहूँ कम. अरहर, चना, अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर				
2. मझगवां				
3. रामपुर-बघेलान				
4. नागौद				
5. उचेहरा				
6. अमरपाटन				
7. रामनगर				
8. मैहर				
9. बिरसिंहपुर				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गोहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर				
2. सिरमौर				
3. मऊगंज				
4. हनुमना				
5. हजूर				
6. गुढ़				
7. रायपुरकर्चुलियान				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, उड़द अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर				
2. ब्यौहारी				
3. जैसिंहनगर				
4. गोहपारू				
5. जैतपुर				
6. बुढार				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान, कोदों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी				
2. अनूपपुर				
3. कोतमा				
4. पुष्पराजगढ़				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़				
2. पाली				
3. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गोहूँ, मसूर, जौ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास				
2. सिंहावल				
3. मझौली				
4. कुसमी				
5. चुरहट				
6. रामपुरनैकिन				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4 (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..		4 (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधडक्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4 (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4 (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. *जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खाचरौद	..		4 (1) ..	6. ..	8. ..
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..		4 (1) गेहूँ अधिक. चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4 (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, उड़द अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) मक्का, सोया, उड़द, कपास, मूँगफली, तुअर, अधिक. धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. उदयगढ़	..				
6. च. शेखर आ. नगर	..				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक ज्वार, धान बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. . .
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. वरला	..				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास अधिक सोयाबीन कम (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. जावरा	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. रेहटी	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गोहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडाँगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गोहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों-कुटकी अधिक. उड़द कम.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई व बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, ज्वार. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. दीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों- कुटकी, तुअर, उड़द, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, रामतिल, उड़द समान (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. चाँद 10. बिछुआ 11. हरई 12. मोहखेड़ा 13. उमरेठ				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसीर 7. घनोरा 8. छपारा				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर 7. खैरलांजी 8. लालबर्वा 9. बिरसा 10. परसवाड़ा				

टीप.-*जिला सिंगरौली, नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खंडवा व राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1168)